

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1242] No. 1242] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1748(अ).—यत:, यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खंड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2006 की सं का.आ. 2151(अ) की सार्वजिनक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उप-खंड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्यां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत:, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी ने आपितयों/सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

''जोन 'ओ' बुलन्द मस्जिद क्षेत्र (शास्त्री पार्क एक्सटेंशन) के 1.70 हैक्टेयर के क्षेत्रफल के निम्नलिखित भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग	भू-उपयोग िक्कों	सीमाएं
÷		(एमपीडी-	जिसमें	
		2021)	परिवर्तित	
			की गई	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
यमुना नदी	1.70	'कृषि एवं	सार्वजनिक	उत्तर :
तल जोन	हैक्टेयर	जलाशय'	व अर्द्ध-	अ.रा.ब.अ.
ओ' में			सार्वजनिक	तथा जी.टी. रोड
बुलंद मस्जि	द		सुविधाएं	को जोड़ने वार्ल
क्षेत्र (शास्त्र				नई सड़क
पार्क एक्सटेंशन)				दक्षिण :
में				अनधिकृत
				निर्मित कालोर्न
				पूर्व :
				अनधिकृत
	,			निर्मित कालोनी
				9 मी. चौड़ी
	•			प्रस्तावित संड्व
				पश्चिम :
				डीएमआरसी
÷				भूमि, एचटी
				लाइन/13.5 मी
				चौड़ी प्रस्तावित
				सड़क

[सं. के-13011/3/2006-डीडीआई-बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (DELHI DIVISION) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2007

S.O. 1748(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2151(E), dated 26th December, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of an area measuring 1.70 ha. of land in Buland Masjid area (Shastri Park Extension) in Zone 'O' is changed as per description listed below:—

Location	Area	Land use (MPD- 2021)	Land use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buland Masjid area (Shastri Park Extension in River Yamuna Bed Zone 'O'	,	'Agriculture and Water Body'	Public and semi- public facilities	North: New Road linking ISBT and G.T. Road South: Built- up unauthorised colony East: Built-up unauthorised colony/9M wide proposed Road West: DMRC land, HT Line/ 13.5M wide proposed Road

[No. K-13011/3/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.